न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 96 / 2025
निर्णय दिनांक : 30.04.2025
GCMS NO : 2025/207

1. मुकेश कुमार जोगी पुत्र प्रहलादनाथ जोगी जाति जोगी निवासी ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. राकेश कुमार पुत्र मदननाथ जोगी जाति जोगी निवासी ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................प्रार्थीगण

बनाम

1. सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत हरासर पंचायत समिति सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र रेकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—

1.प्रार्थी अधिवक्ता श्री हरीशचन्द्र पारीक परिस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3.अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सीमा ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरूं के खसरा नं. 479 तादादी 26 बीघा 2 बिश्वा में से 1 बीघा एवं खसरा नं. 509 तादादी 44 बीघा 5 बिश्वा में से 7 बीघा भूमि कुल किता 2 कुल तादाद 8 बीघा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा दिनांक 24.01.2007 को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत हरासर पंचायत समिति सुजानगढ़ को आवंटन की गई थी। जो श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, ने राज्य सरकार के परिपत्र जारी दिनांक 06.12.1988 एवं दिनांक 06.12.2001 के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटित की गई थी।

यह कि आवंटन हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव तहसीलदार सुजानगढ़ के साथ खसरा नं. 479 में से 1 बीघा भूमि आबादी विस्तार कर आवंटन करने बाबत् जिसमें एक सूची तत्कालीन समय इस 1 बीघा आवंटित भूमि पर कुल 7 लोगों की बसावट दिखाई गई है जो कुल 1 बीघा भूमि है। जिनमें से 6 लोगों

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

के पास 3–3 बिश्वा भूमि एवं एक व्यक्ति के पास 2 बिश्वा भूमि पर कब्जा अधिकार में थी तथा वो सातों व्यक्ति उस समय उस भूमि पर सपरिवार आबाद थे।

यह कि खसरा नं. 509 तादादी 44 बीघा 5 बिश्वा गैर मुमकिन गोचर भूमि सीमा ग्राम हरासर में से कुल7 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा आवंटन की गई थी इस आवंटन बाबत् पूर्व में भिजवाये गये तत्कालीन तहसीलदार सुजानगढ़ एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट के साथ एक सूची उस समय भूमि पर आबाद लोगों की बनाकर संलग्न की गई थी जिसमे कुल 15 व्यक्ति आबाद थे एवं इस भूमि में आवास पर उपयोग, उपभोग कर रहे थे जो कुल 7 बीघा आवंटन की गई थी व खसरा नं. 509 में से ग्राम बामणिया जाने वाले रास्ते के मध्य की भूमि थी तथा कुल 7 बीघा भूमि थी साथ संलग्न सूची में वर्णित व्यक्तियों के कब्जा शुदा भूमि शामिल थी एवं शेष 7 बीघा भूमि में से कब्जाधारियों के कब्जे की भूमि को शामिल के बाद में शेष भमि थी कुल 7 बीघा भूमि इस खसरे में से आवंटन की गई थी जिसमें सूची में वर्णित व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल किये गये थे।

यह कि भूमि आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों ने 7 बीघा भूमि खसरा नं. 509 एवं 1 बीघा भूमि खसरा नं. 479 में से नक्शा में तरमीम कर अंकन करते वक्त सूचीबद्ध आवंटित व्यक्तियों के कब्जा शुदा भूमि को छोड़कर अन्यत्र तरमीम कर चिन्हित कर दी गई तथा आबादी विस्तार दिखा दिया गया आवंटित भूमि से अधिक भूमि को आवादी मे अंकित कर दिया गया जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश के मुताबिक ही नक्शा में तरमीम कर अंकन होना चाहिये था।

यह कि राजस्व कर्मचारियों पटवारी ग्राम पंचायत के द्वारा मौका पर माप किये बिना ही मौका की स्थिति देखे बिना राजस्व रेकॉर्ड नक्शा में गलत तरमीम कर अंकन कर दिया व खसरा नं. 509 में से आवंटित 7 बीघा भूमि से अधिक भूमि आबादी विस्तार में मौका पर दिखा दी गई एवं नक्शा में अंकन कर दिया गया जो कतई गलत व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चूरू के आदेश के विपरीत है एवं कायम रहने के योग्य नहीं है।

यह कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चूरू के आदेश की भूमि का आवंटन हो जाने से यह भूमि ग्राम पंचायत हरासर पंचायत समिति सुजानगढ़ के क्षेत्रधिकार में आ गई तथा ग्राम पंचायत हरासर ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ साज कर इस आबादी विस्तार का गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाते हुए ग्राम पंचायत ने अपने नजदीकी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये पट्टे भी जारी कर दिये यह समस्त कार्यवाही बाला बाला कर भूमि को आबादी में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने हेतु कार्यवाही मात्र जो जो कतई कायम रहने योग्य नहीं है जो काबिल सुधार एवं संशोधन है।

यह कि श्रीमान् जी के पास प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर फर्द मौका की रिपोर्ट चाही गई जिस पर हल्का पटवारी हरासर द्वारा दिनांक 11.08.2024 को मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है जिस पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर मय मुद्रा के है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वर्तमान नक्शा एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध ड्रोन नक्शा पूर्णतया त्रुटिपूर्ण अंकन दर्शाया हुआ है। पटवारी हल्का ने इसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है कि टिप्पणी अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में की है एवं ऑनलाईन नक्शा की तरमीम शुद्ध किये जाने बाबत् स्पष्ट टिप्पणी फर्द मौका रिपोर्ट में की है इससे यह स्पष्ट साबित है कि ड्रोन द्वारा तैयार किया गया नक्शा वास्तविकता के विपरीत गलत तैयार किया हुआ है। जो कतई कायम रहने योग्य नहीं है एवं सुधार एवं काबिल दुरूस्ती के है।

यह है कि प्रार्थीगण ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के निवासी है तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के द्वारा आवंटित की गई भूमि पर काबिज है इसलिए बिनाय प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को हासिल है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार सुजानगढ़ एवं हल्का पटवारी हरासर को दुरूस्ती बाबत् मौखिक निवेदन कर तरमीम कर सही करने का निवेदन दिनांक 19.09.2024 को किया तो अन्य कार्यवाही करने का कहकर तरमीम में शुद्धि करने से साफ इन्कार हो गये इस पर प्रार्थीगण कार्यालय ग्राम पंचायत हरासर गये तो सरपंच उपस्थित नहीं मिले तथा अन्य उपस्थित ने यही कहा कि अन्यत्र कार्यवाही कर तरमीम शुद्धिकरण करवाओं लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है।

यह है कि प्रार्थीगण ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के स्थायी निवासी है एवं आवंटित की गई भूमि ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र के सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालयं को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के खसरा नं. 479 तादादी 26 बीघा 2 बिश्वा में से आवंटित की गई 1 बीघा भूमि एवं खसरा नं. 509 तादादी 44 बीघा 5 बिश्वा में से 7 बीघा भूमि आवंटित कुल किता 2 कुल तादाद 8 बीघा आवंटित भूमि के नक्शा राजस्व रेकॉर्ड में आवंटन आवेदन के साथ संलग्न सूची में वर्णित व्यक्तियों को शामिल करते हुए मौके पर माप कर दोनों खसराजात में से कुल 8 बीघा भूमि की सही जगह पर तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन फरमाया जावे एवं ड्रोन नक्शा जो गलत एवं वास्तविकता के विपरीत है को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तामिल विधिवत रूप से हो जाने के बाद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिससे अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट चाही गया।

तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार ग्राम हरासर के ख.नं. 893/509 रकबा 7 बीघा गैर मुमकिन गोचर से आबादी ग्राम पंचायत हरासर को आवंटित है व ख.नं. 891/479 रकबा 1 बीघा ग्राम पंचायत हरासर को आवंटित आबादी हेतु है। मौका व रिकॉर्ड के अनुसार ख.नं. 893/509 हरासर से राजियासर खारा रास्ता ख.नं. 496 व हरासर से बामणिया रास्ता ख.नं. 543 के बीच की भूमि है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में ख.नं. 893/509 की तरमीम के अन्दर का रकबा

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

आवंटित क्षेत्र से अधिक है। जो दुरूस्त किया जाना उचित है। नक्शा ऑनलाईन में ख.नं. 496 सजियासर खारा रास्ता में तरमीम मौके से काफी भिन्न होने के कारण उक्त रास्ता ख.नं. 496 की सही तरमीम कर आवंटित भूमि ख.नं. 893/509 की तरमीम शुद्ध की जा सकेगी। उक्त रास्ता ख.नं. 496 की सही तरमीम मूल नक्शा शीट सम्वत् 2002 के अनसार शुद्ध की जानी उचित है ताकि मौके से रिकॉर्ड का मिलान हो सके। मौके पर संबंधित द्वारा उपलब्ध करवाये गये आवंटन प्रस्ताव की प्रति में दर्ज 15 आबाद घरों व ख.नं. 479 में आबाद 7 घरों के मौके पर बसावट अनुसार रकबा 7 बीघा व 1 बीघा होता है। आबादी विस्तार के मूल प्रस्ताव में दर्शित आबादी के नक्शा अनुसार रास्ता ख.नं. 496 को दुरूस्त कर 7 बीघा व 1 बीघा रकबा की तरमीम शुद्ध की जानी उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आबादी विस्तार के मूल प्रस्ताव में दर्शित आबादी के नक्शा अनुसार रास्ता ख.नं 496 को दुरूस्त कर, ख.नं. 893/509 रकबा 7 बीघा व ख.नं. 891/479 रकबा 1 बीघा ग्राम पंचायत हरासर को आवंटित आबादी भूमि की तरमीम शुद्ध किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)